मनचलों पर भारी, जागरुक सशक्त नारी ~ मिशन शक्ति

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाया विशेष अभियान

जिला ब्यूरो हसमत हुसेन खाँन

श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु संचालित "मिशन शक्ति" अभियान के पाँचवे चरण के तहत, महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। इस विशेष अभियान का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना और समाज में जागरूकता लाना है।महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत निम्न स्थानों पर जागरूकता चौपाल लगाकर महिलाओं/बच्चों तथा आम जन को जागरूक किया गया जिसके क्रम में शक्ति मोबाइल टीम की म0आ0 पूजा देवी, मा0आ0 प्रिया मिश्रा, म0आ0 सरिता जायसवाल, म0आ0शान्ती शुक्ला द्वारा थाना क्षेत्र सिरसिया के ग्राम धोलिया ,जमुनी कला, उच्च प्राथमिक विद्यालय टिटिहिरिया, नवीन मॉडर्न पुलिस थाना से महिला आरक्षी शालू यादव, महिला आरक्षी मधुलिका सिंह, महिला आरक्षी रबीना राना, महिला आरक्षी माधुरी दीक्षित द्वारा ग्राम लखही, राजगढ़ गुलरिया में, महिलाओं/ बालिकाओं को उनके सम्मान, अधिकार से अवगत कराते हुए एवं स्वालंबन मिशन शक्ति के दृष्टिगत सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत बाल विवाह, लैंगिक समानता के बारे में एवं महिला सम्बन्धी अधिकारो के बारे मे तथा साइबर अपराध की रोकथाम के बारे जानकारी दी गयी।मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के भावना को समाज में प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए आवश्यक सहायता और जागरूकता प्रदान करना उत्तर प्रदेश पुलिस का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में समाज के हर सदस्य की भागीदारी आवश्यक है। मिशन शक्ति-5 के माध्यम से हम महिलाओं के प्रति सुरक्षित वातावरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं और समाज में सुरक्षा, सम्मान और समानता के मूल्यों को बढ़ावा दें।

गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद

जिला ब्यूरो हसमत हुसेन खाँन

श्रावस्ती जानकीनगर केरवनिया थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती निवासिनी महिला के द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लिखित किया गया कि वादिनी के पति ननके उर्फ रामस्वरूप (मृतक) पुत्र तिलकराम को विपक्षी जिलेदार उर्फ उमेश कुमार पासवान पुत्र स्व0 प्रेम कुमार निवासी जानकीनगर केरवनिया थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती द्वारा मोटरसाइकिल मांगनें की बात को लेकर सिर पर मोटे बांस से मार दिया गया तथा गाली गलौज व जान से मारनें की धमकी दिया गया है मारनें पीटनें के कारण इलाज के दौरान जिला अस्पताल भिनगा में वादिनी के पति ननके उर्फ रामस्वरूप की मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध मे थाना को0 भिनगा पर मु0अ0सं0 474/2024 धारा 115(2),351(3), 352(2), 105 BNS बनाम जिलेदार उर्फ उमेश कुमार पासवान पुत्र स्व0 प्रेम कुमार निवासी जानकीनगर केरवनिया थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जिलेदार उर्फ उमेश कुमार पासवान पुत्र स्व0 प्रेम कुमार निवासी जानकीनगर केरवनिया थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को ग्राम मठा थानाक्षेत्र गिलौला से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद बांस के भंडें की बरामदगी की।